ऋण अनुबंध

(यह दस्तावेज़ ऋण अनुबंध के लिए है तथा स्टाम्प शुल्क को आकर्षित करेगा)

LOAN AGREEMENT

(This document will attract stamp duty for Loan Agreement)

यह अनुबंध इस अनुबंध कि अनुसुची में निर्दिष्ट स्थान और तिथि पर किया गया है।

This Agreement is made at the place and on the date specified in Schedule to this Agreement, between:

इस अनुबंध की अनुसूची में उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता के रूप में निर्दिष्ट व्यक्ति (इसके बाद" उधारकर्ता/आवेदक/ ऋणी "के रूप में संदर्भित किया गया है, जो अभिव्यक्ति में जब तक की संदर्भ की आवश्यकता न हो, इसमें इसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशित, जैसा लागू हो शामिल हैं।

The person(s) specified as the Borrower/s and co-Borrower/s in Schedule to this Agreement (hereinafter referred to as "the Borrower/s/Applicant", which expression shall unless the context otherwise requires, includes heirs, administrators, executors, successors, and permitted assigns, as applicable) of the FIRST PART.

एवं (AND)

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित एक कंपनी है तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अर्थ में एक बैंकिंग कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय उत्कर्ष टॉवर, एनएच -31 (एयरपोर्ट रोड), सहमलपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी – 221105 है और इसका एक शाखा कार्यालय इस अनुबंध की अनुसूची में उल्लिखित स्थान पर स्थित हैं(जिसे आगे "बैंक" के रूप में संदर्भित किया गया है है, और इसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे। Utkarsh Small Finance Bank Limited, a company incorporated under the companies Act 2013 also a banking company within the meaning of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) bearing CIN U65992UP2016PLC082804 and having its Registered Office at Utkarsh Tower, NH -31(Airport Road), Sehmalpur, Kazi Sarai, Harhau, Varanasi – 221105, and one of its Branch Office at such place as mentioned in Schedule of this Agreement, (hereinafter referred to as the "Bank", which expression, unless it be repugnant to the context or meaning thereof, shall mean and include its successors and assigns) of the SECOND PART

Aapki Ummeed Ka Khaata

जबिक (WHEREAS)

- A. ऋणी (आवेदन पत्र में परिभाषित) ने अनुसूची में निर्दिष्ट ऋण राशि के लिए के लिए बैंक से संपर्क किया है(जिसे आगे "ऋण"के रूप में संदर्भित किया गया है)।
 - The Borrower/s, as per the Application Form (hereinafter defined) has approached the Bank for a loan amount as specified in Schedule (hereinafter referred to as the "Loan").
- B. उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और संदर्भों के आधार पर और उधारकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्भर करता हुआ बैंक ऋण देने के लिए सहमत हो गया है और ऋणी इस अनुबंध में उल्लेखित शर्तों पर सुविधा का लाभ उठाने के लिए सहमत हो गए हैं। नियम और शर्तें निम्नानुसार वर्णित हैं
 - Based on the documents and references submitted by the Borrower and relying on the representations of the Borrower, the Bank has agreed to grant and the Borrower/s has agreed to avail the Loan Facility on the terms and conditions stated herein below:

यह समझौता प्रपत्र सहमति के आधार पर बनाया गया है। शर्तें निम्नवत हैं : NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AND IT IS HEREBY MUTUALLY AGREED AND DECLARED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS UNDER:

1. परिभाषाएँ और व्याख्या (DEFINITIONS AND INTERPRETATION)

1.1 परिभाषाएँ (Definitions)

इस संदर्भ में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी असंगत न हो, पूंजीकृत शब्द (नीचे सूचीबद्ध) के निम्नलिखित अर्थ होंगे: In these presents, unless there is anything in the subject or context inconsistent therewith, the capitalized terms listed below shall have the following meanings: "बैंक" का अर्थ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड होगा।

"Bank" shall mean Utkarsh Small Finance Bank Limited.

"उधारकर्ता "का अर्थ एक या एक से अधिक व्यक्ति/ व्यक्तियों, अकेले या सामूहिक रूप से, जो भी हो, जिसका नाम और पता इस अनुबंध के अनुसूची में वर्णित है और जो इस अनुबंध को उधारकर्ता/आवेदक/ ऋणी के रूप में निष्पादित किया है।।

"Borrower/s" shall mean one or more individual(s), singly or collectively, as the case may be whose name(s) and address(s) is/are stated in the Schedule of this Agreement and who is executing this agreement as Borrower/s and

a) ऐसे मामले में जब ऋणी एक या एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से अनुबंध को निष्पादित किया है और एक से अधिक के मामले में, प्रत्येक व्यक्ति सभी देनदारियों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग सहमत हैं और" उधारकर्ता "शब्द में उनके वारिस, संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशित भी शामिल होंगे।

In case when the Borrower/s is one or more individual(s) each one being deemed to have made this Agreement individually and in case of more than one, all of them having agreed to liabilities hereunder jointly and severally and the term "Borrower/s" shall include his/her/their respective heirs, executors, administrators and legal representatives and permitted assigns.

"शाखा "का अर्थ अनुसूची में उल्लिखित स्थान पर बैंक की शाखा है जहां ऋण वितरित किया जाता है और इसमें कोई अन्य शाखा भी शामिल होगी जहां ऋण खाता रखा या स्थानांतरित किया गया हो , यह पूरी तरह बैंक का निर्णय होगा।

"Branch" means the branch of the Bank at the place mentioned in the Schedule of this Agreement and where the Loan is disbursed and shall include any other branch where the Loan account is maintained or transferred to any time at the sole discretion of the Bank.

"देय तिथि "का अर्थ उस तिथि से है, जिस पर ब्याज और / या किसी भी तरह के प्रभार सहित सुविधा के संबंध में कोई भी राशि देय हो।

"Due Date" means the date(s) on which any amounts in respect of the Loan Facility including the interest and/or any other monies, fall due.

"पर्यावरणीय, सामाजिक और अधिशासन कानूनों" का अर्थ होगा लागू कोई भी कानून, नियम और विनियम (अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बाध्यताओं सिहत) जो (1) पर्यावरणीय मामलों और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, (2) कर्मचारी और मजदूर और उनके कार्यस्थल की स्थित (विशेषकर बाल और जबरन काम पर गले मजदूर, भेदभाव और असोसिएशन से संबंधित कानूनों का अनुपालन), (3) व्यवसायगत तथा सार्वजिनक स्वास्थ्य और सुरक्षा का संरक्षण, (4) सार्वजिनक सहभाग के नियम, (5) भूमि के अधिकारों (औपचारिक और पारंपिरक दोनों) के स्वामित्व की सुरक्षा और नियम, अचल संपित्त और बौद्धिक तथा सांस्कृतिक संपदा अधिकार, (6) अन्य सभी कानून, नियम और विनियम जो कर्मचारियों और नागिरकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जिसमें शामिल हैं मानवाधिकारों का आदर करना, जीवन और आग से सुरक्षा तथा सत्यिनष्ठा के कानून, नियम और उपनियम बनाने से संबंधित हो।

"Environmental, Social and Governance Laws" shall mean any law, rules and regulations (including international treaty obligations) applicable concerning (i) environmental matters and natural resource management, (ii) employees and labour and their condition of workplace (particularly compliance with regulations relating to child and forced labour, discrimination and rights of association), (iii) protection of occupational as well as public health and safety, (iv) the regulations of public participation, (vi) the protection and regulations of ownership of land rights (both formal and traditional), immovable goods and intellectual and cultural property rights, (v) all other laws, rules and regulations providing protection of employees and citizens, including respecting human rights life and fire safety and building integrity laws, rules and regulations.

"पर्यावरणीय, सामाजिक और अधिशासन कार्य योजना" का अर्थ होगा ऐसी योजना (यदि हो) जो विशिष्ट पर्यावरणीय, सामाजिक और अधिशासन के उपायों को तय करता है जिसका पालन कर्जदार को करना है, और जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य है तथा कर्जदार और/या बैंक द्वारा विकसित है।

"Environmental, Social and Governance Action Plan" shall mean a plan (if any) setting out specific environmental, social and governance measures to be undertaken by Borrower, acceptable to both Parties and developed by Borrower and / or Bank. Tejesh Shankar.

"अपवर्जित गतिविधि" का अर्थ होगा बैंक की ईएसजी अपवर्जन सूची में सूचीबद्ध कोई भी गतिविधि। "Excluded Activity" shall mean any of the activities listed in Bank's ESG Exclusion List. "**समान मासिक किस्तों (ई.एम.आई)** का अर्थ ऋणी के भुगतान दायित्वों को चुकाने के लिए होगा बैंक को बकाया राशि पर उपार्जित ऋण राशि और ब्याज, जो ई.एम.आई **उधारकर्ता** द्वारा बैंक को देय होगा, चुकौती अनुसूची में निर्दिष्ट अंतराल के अनुसार उल्लेखित है।

"Equated Monthly Installments (EMIs)" shall mean the payment obligations of the Borrower/s to repay the Loan Amount and Interest accrued on the Outstanding Balance to the Bank, which EMIs shall be payable by the Borrower/s to the Bank, at the intervals specified in the Repayment Schedule;

"**सुविधा**" का अर्थ ऋण/वित्तीय सहायता की ऐसी राशि से है, जिसके लिए ऋणी द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता है, जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

"Facility" means such amount of the loan/financial assistance, which is applied for / availed of by the Borrower, as specified in Schedule.

"शुल्क और शुल्क" का अर्थ प्रसंस्करण शुल्क, सेवा शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क, चेक बाउंस शुल्क, क्रेडिट मूल्यांकन शुल्क, देर से भुगतान शुल्क, चेक स्वैपिंग शुल्क, स्टाम्प शुल्क और अन्य वैधानिक शुल्क, कानूनी संग्रह, ऋण पुनर्निर्धारण शुल्क, ऋण विवरण और अन्य डुप्लिकेट स्टेटमेंट शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, गैर-मानक पुनर्भुगतान शुल्क, ऋण निरस्तीकरण और रीबुकिंग शुल्क, लेनदेन शुल्क और अन्य शुल्क और बैंक द्वारा यहां प्राप्त होने वाली अन्य सभी राशियां और संपार्श्विक दस्तावेजों के तहत प्राप्त होने वाली राशियां, लेकिन यहां निर्दिष्ट या संपार्श्विक दस्तावेजों के तहत सीमित नहीं है।

Fees and Charges" shall mean and include processing charges, service charges, pre-payment charges, cheque bounce charges, credit assessment charges, late payment charges, cheque swapping charges, stamp duty and other statutory charges, legal collections, Loan Reschedulement Charges, loan statement and other duplicate statement charges, valuation charges, non-standard repayment charges, loan cancellation and rebooking charges, transaction fee and other fees and all other amounts receivable by the Bank hereunder and under the collateral documents, but not limited to those specified herein or under the collateral documents.

"ब्याज" का अर्थ उस ब्याज से होगा जो ऋणी द्वारा बैंक को बकाया पर देय होगा । मासिक अंतराल पर गणना की गई अनुसूची में उल्लिखित ब्याज दर के आधार पर गणना की गई शेष राशि) 365 तीन सौ पैंसठएक वर्ष या बैंक के रूप में ऐसे के दिनों (समान/समय पर निर्धारित और वास्तविक भुगतान की तारीख तक और चेक-अन्य आधार के आधार पर गणना की जा सकती है समय भुगतान विधि के द्वारा शुल्क लिया जाएगा । बैंक द्वारा अपने खाते में जमा राशि की वसूली की तिथि तक भुगतान चाहे दिनांक कुछ) । हालाँिक(ऐसा लिखत या ऐसे लिखत की प्राप्ति की तारीख (भी हो, उस स्थिति में जब उधारकर्ता फोरक्लोज़ करने का इरादा रखता है, ब्याज की गणना वास्तविक फोरक्लोज़ की तारीख तक की जाएगी जैसा कि विशेष रूप से प्रदान किया गया अनुसूची में उलेखित है।

"Interest" shall mean the interest which shall be payable by the Borrower/s to the Bank on the Outstanding Balance, calculated on the basis of the rate of interest mentioned in Schedule calculated on monthly rests shall be computed on the basis of a year of 365 (three hundred sixty five) days or such other basis as the Bank may determine from time to time and shall be charged till the date of actual payment and in case of cheque / similar payment till the date of realization by the Bank of the amount into its account by credit (irrespective of date of such instrument or date of receipt of such instrument). However, in the event the Borrower intends to foreclose the Facility, the interest would be calculated upto the date of actual foreclosure as more specifically provided for in Schedule hof this Agreement;

''प्री-इक्वेटेड मासिक किस्त'' या ''प्री-ईएमआई'' का अर्थ होगा ब्याज की कोई भी राशि जो वितरण के पहले दिनांक से प्री-ईएमआई अंतिम दिनांक तक कर्जदार द्वारा देय है, जो कि इस समझौते की अनुसूची 1 में अधिक विशिष्टता से दिया गया है।

"Pre-Equated Monthly Instalments" or "Pre-EMIs" shall mean any amount of Interest which is payable by the Borrower for a period commencing from the first Date of Disbursement up to the Pre-EMI End Date, as more particularly provided for in Schedule I of this Agreement.

''प्रतिवेदन'' का अर्थ होगा बैंक द्वारा आवश्यक वार्षिक रिपोर्ट और यह कि कर्जदार गंभीर, पर्यावरणीय, सामाजिक और अधिशासन की घटनाएँ (विशेषकर जानलेवा घटनाओं सहित) उनके होने के २४ घंटे के अंदर रिपोर्ट करता है।

"Reporting" shall mean an annual report as required by Bank, and that Borrower reports serious Environmental, Social and Governance incidents (including specifically fatalities) within 24 hours of occurrence.

"स्थायी निर्देश" या "एसआई", का अर्थ लिखित रूप से अपरिवर्तनीय निर्देश होगा, जो कि उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता के बैंक शाखा को जारी किया जाएगा , जिसके पास उसके लिए ई. एम. आई. के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए खाता है। देय तिथि पर ऋण की चुकौती के लिए बैंक को भुगतान करेगा ।

"Standing Instruction" or "SI", shall mean the irrevocable instructions, in writing, which shall be issued by the Borrower/s to Bank's branch, with which it has an account for payment of an amount equal to the EMIs for payment to the Bank for repayment of the Loan on the Due Date(s);

2. ऋण राशि (AMOUNT OF THE LOAN)

- 2.1. ऋणी के अनुरोध पर, बैंक एतद्वारा ऋणी/उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए सहमत होता है। ऋणी एतद्वारा अनुसूची में सूचीबद्ध राशि (ऋण) का लाभ, इस अनुबंध, आवेदन पत्र और स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लेना चाहते हैं। At the request of the Borrower/s, the Bank hereby agrees to provide to the Borrower/s, and the Borrower/s hereby agrees to avail of the Loan not exceeding the amount listed in Schedule of this Agreement, upon the terms and subject to the conditions hereof and the Application Form and the Sanction Letter.
- 2.2. इस सुविधा / अनुबंध के तहत संवितरण की तिथि उस तिथि को माना जाएगा जिस तिथि पर बैंक ने चेक/पे ऑर्डर / प्राधिकरण (ओं) / डिमांड ड्राफ्ट (ओं) को निर्गत/जारी किया हो न कि उनकी वास्तविक प्राप्ति की तारीख पर । और यदि संवितरण क्रेडिट द्वारा किया गया हो, तो संवितरण की तिथि उस तिथि को माना जाएगा जिस तिथि पर बैंक ने ऋण, ऋणी के खाते में क्रेडिट किया है।

The disbursements under the Facility shall be deemed to be made on the date the cheque(s) / pay order(s) / authorization(s) / demand draft(s) are issued / made by the Bank and not on the date of their actual receipt, and if by credit, when credit is made by the Bank.

2.3. बैंक प या घटना भी किसीरिस्थिति में बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि से अधिक राशि संवितरित करने के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा ।

The Bank shall not in any event or circumstance be liable or be construed as being liable to disburse any amount beyond the Loan Amount sanctioned by the Bank and as mentioned in the Sanction Letter.

Utkarsh Small Finance Bank

3. भुगतान, ब्याज, शुल्क और अन्य शुल्क (PAYMENTS, INTEREST, FEES AND OTHER CHARGES)

3.1. ऋणी सहमत हैं, वचन देते हैं और अनुबंध करते हैं कि पूरे ऋण की चुकौती की तारीख तक दायित्व, ऋणी संपूर्ण बकाया राशि पर ब्याज दर पर ब्याज का मासिक आधार भुगतान करेंगे, जो कीई.म.आई या प्री.ई.एम.आई का हिस्सा होगा, जैसा भी मामला हो, ब्याज 365-दिन वाले साल के आधार पर मासिक अंतराल के साथ, बीते दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर गणना की जायेगी और अन्य आधार जैसा कि बैंक समय-समय पर निर्धारित करेगी।

The Borrower/s agrees, undertakes and covenants that until the date of the repayment of the entire Obligations, the Borrower/s shall pay Interest on the entire Outstanding Balance, at the Interest Rate, on a monthly basis, which shall comprise part of the EMIs or PEMIs, as the case may be, which Interest shall be calculated based on the actual number of days passed, with monthly rests based on a 365-day year or such other basis as the Bank may determine from time to time.

कर्जदार बैंक को प्री-ईएमआई अग्रिम रूप में अदा करने के लिए सहमत है। कर्जदार एतद्दवारा बैंक को कर्ज की राशि से अग्रिम प्री-ईएमआई काटने के लिए अधिकृत करता है. कर्जदार एतद्दवारा यह समझने की पुष्टि करता है कि ब्याज निवल कर्ज राशि पर लिया जाता है यानी कर्ज राशि ऋण अग्रिम प्री-ईएमआई राशि। कर्जदार यह भी समझता है कि प्रक्रिया शुल्क और इंश्योरेंस की राशि भी कर्ज की राशि से काट ली जाती है लेकिन उस पर ब्याज लिया जाएगा।

The Borrower/s agrees to pay to the Bank Pre-EMI as an advance. The borrower/s hereby authorize the Bank to deduct the advance Pre-EMI from the Ioan amount. The borrower/s hereby confirm/s having understood that interest is charged on the net Ioan amount i.e., Ioan amount minus advance Pre-EMI amount. The borrower/s also understood that in case processing fee and insurance amount is also deducted from the Ioan amount, but interest shall be charged on that.

उधारकर्ता द्वारा ऋण पर समय-समय पर लागू होने वाले ब्याज दर और अन्य दर/लेवी पूरी तरह से वहन किया जयेगा। Interest Tax and other taxes/levies as may be applicable from time to time on the Loan shall be borne solely by the Borrower. 3.2. ऋणी/उधारकर्ताओं को ऋण राशि का भुगतान/पुनर्भुगतान चुकौती अनुसूची में उल्लिखित तिथियों पर करना होगा,जो समय-समय पर लागू हो। ऋण राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा,

उस पर अर्जित ब्याज के साथ, जैसा कि क्लॉज 3.1 **(भुगतान, ब्याज, शुल्क और अन्य)** में प्रदान किया गया है शुल्क और डिफ़ॉल्ट ब्याज, यदि कोई हो, (उस पर अर्जित), जिसमें ईएमआई और सभी अतिरिक्त शुल्कशामिल होगा, जो उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने की आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि क्लॉज 3 **(भुगतान, ब्याज, शुल्क और अन्य शुल्क)** में वर्णित किया गया है।

The Borrower/s shall be required to make payment/repayment of the Loan Amount on the dates mentioned in the Repayment Schedule, applicable from time to time. The Loan Amount shall be paid by the Borrower/s, together with Interest accrued thereon, as provided for in Clause 3.1(Payments, Interest, Fees and Other Charges) above and Default Interest, if any, accrued thereon, which shall comprise of part of the EMIs and all additional Charges, which may be required to be paid by the Borrower/s, as provided for elsewhere in this Clause 3 (Payments, Interest, Fees and Other Charges).

3.3. भुगतान चूक की स्थिति में, ऋणी किसी भी अतिदेय राशि पर बैंक को ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत होता है यानी कोई भी राशि, जिसके संबंध में प्रासंगिक देय तिथि पर भुगतान नहीं किया गया हो और अगर किसी अन्य घटना (घटनाओं) की चूक (गैर-भुगतान के लिए नहीं) होती है तो ऋणी बैंक को अनुसूची में उल्लिखित दर ("डिफ़ॉल्ट ब्याज") के अनुसार (जो की लागू ब्याज दर के ऊपर लागू होगा) कुल बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत होता है, यहां अनुसूची में उल्लिखित दर ("डिफ़ॉल्ट ब्याज") से अधिक और लागू ब्याज दर से ऊपर डिफ़ॉल्ट ब्याज की गणना वर्ष में दिनो की वास्तविक संख्या के आधार पर दैनिक की जाएगी । पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और स्पष्टता के लिए, यदि बैंक ऋण या धनराशि का किसी भाग को वापस लेता है, ऋणी को सभी बकाया मूलधन, ब्याज और अन्य धनराशि पर डिफ़ॉल्ट ब्याज का भुगतान वापस बुलाने की तारीख से बैंक को पूर्ण भगतान की तारीख तक करना होगा।

In the event of payment defaults, the Borrower/s agrees to pay to the Bank interest on any overdue amounts i.e. any amounts, in relation to which payment has not been made on the relevant Due Date, and in case of the occurrence of any other Event(s) of Default (not for non-payment), the Borrower/s agrees to pay to the Bank interest on the total Outstanding Balance, at the rate mentioned in Schedule here to ("Default Interest") over and above the applicable Interest Rate. Default interest shall be calculated daily based on the actual number of days in the year. Without prejudice to the foregoing, and for clarity, if the Bank recalls the Loan or any part thereof, the Borrower/s shall have to pay Default Interest on all outstanding principal, interest and other money(s) due and owing to the Bank from the date of recall until the date of full payment to the Bank.

3.4. ऋणी स्वीकृति पत्र में गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क के रूप में निर्दिष्ट राशि को भुगतान करने के लिए भी सहमत हैं और यह एक प्रारंभिक शर्त के रूप में ऋणी द्वारा देय होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, भले ही ऋण या उसका कोई हिस्सा रद्द कर दिया गया हो या उधारकर्ता ऋण (या कोई हिस्सा) का लाभ नहीं उठाना चाहता हो तब भी ऋणी बैंक को उपरोक्त खंड के तहत लगाए गए शुल्क (यदि कोई हों) के अतिरिक्त प्रसंस्करण शुल्क , भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रहेगा।

The Borrower/s also agrees to pay the amount specified in the Sanction Letter as non- refundable processing fee and the same shall be due from the Borrower/s, as a Condition Precedent. It is clarified that, even if the Loan or any part thereof is cancelled or the Borrower/s chooses not to avail the Loan (or any part thereof) then the Borrower/s shall remain liable to pay to the Bank the processing fee, in addition to the charges levied under above Clauses, if any.

3.5. ऋणी बैंक को ऐसे सभी अन्य और अतिरिक्त शुल्कों का भुगतान करने के लिए सहमत हैं जो इस अनुबंध के तहत ऋणी द्वारा लिए गए ऋण के परिणामस्वरूप ऋणी द्वारा बैंक को देय हो सकते हैं।

The Borrower/s agrees to pay to the Bank all such other and further charges that may become payable by the Borrower/s to the Bank as a consequence of the Loan being availed by the Borrower/s under this Agreement.

3.6. कोई शुल्क, जो बैंक के शुल्क के विवरण (जो की आवेदन पत्र/स्वीकृति पत्र का हिस्सा है या जो समय-समय पर बैंक की वेबसाइट में प्रकाशित होता है) जो किसी भी भुगतान साधन के अनादर या इसी तरह की घटनाओं के मामले में उधारकर्ता द्वारा देय होगा , प्राथमिक रूप से उस संबंध में प्रशासनिक लागतों के तत्काल भाग की ओर होती हैं और Negotiable Instruments Act, 1881 और/या Payment and Settlement Systems Act, 2007 के तहत बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगी, । इस अनुबंधके तहत बैंक के किसी भी अधिकार, सुरक्षा दस्तावेज और/या किसी भी संबंधित दस्तावेज, और इस तरह के शुल्क का भुगतान ऋणी की देनदारी को सीमित नहीं करेगा, चाहे वह नागरिक या आपराधिक प्रकृति का हो।

Any charges mentioned in the Bank's statement of charges (forming part of the Application Form/Sanction Letter or as may be published in the Bank's website from time to time) which are/shall be payable by the Borrower/s in case of dishonour of any Payment Instrument(s) or similar events, are primarily towards the

immediate part of the administrative costs in that regard and shall be without prejudice to the rights of the Bank under the Negotiable Instruments Act, 1881 and/or the Payment and Settlement Systems Act, 2007 or any of the Bank's rights under this Agreement, the Security Documents and/or any related documents, and payment of such charges shall not limit the liability of the Borrower/s, whether civil or criminal in nature.

3.7 इस अनुबंध के तहत उधारकर्ता द्वारा देय और अन्य सभी राशियों (जिसमें ब्याज कर, शुल्क, स्टाम्प शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, लॉगिन शुल्क, लागत, सेवा और अन्य शुल्क, दावे और खर्च शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) उधारकर्ता के ऋण खाते से बैंक डेबिट करने का हकदार होगा, जब तक कि उधारकर्ता द्वारा बैंक को अलग से प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। ऐसी राशियाँ ऋण का हिस्सा होंगी।

The Bank shall be entitled to debit all other amounts due and payable by the Borrower under this Agreement (including but not limited to interest tax, fees, stamp duty, processing fee, login fees, costs, service and other charges, claims and expenses) to the Borrower's Loan account, unless separately reimbursed to the Bank by the Borrower. Such amounts shall form part of the Loan.

3.8 डिफ़ॉल्ट के समय भुगतान की सभी राशि (अर्थात ऋणी द्वारा बैंक को नियमित भुगतान नहीं किया गया) ईएमआई की बकाया राशि, ईएमआई के शुरू होने से पहले का ब्याज, ऋण खाते से डेबिट किए गए लागत, शुल्क और खर्च बिना किसी भुगतान के दंडात्मक ब्याज को आकर्षित करेगा। इस तरह के संशोधन और ब्याज के लिए कोई कारण निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है और उसके बाद अनुसूची के अनुसार ऐसी संशोधित दर (दरों) पर दंडात्मक ब्याज अर्जित होगा।

All amounts in default for payment (i.e. not paid by the Borrower when due to the Bank) including arrears of EMI, interest before the commencement of EMI, costs, charges and expenses debited to the Loan account shall attract penal interest without there being any need to assign a reason for such revision and interest and penal interest shall thereafter accrue at such revised rate(s) as per the schedule of this Agreement.

3.9. किसी भी ईएमआई की गणना के बारे में उठाया जा रहा कोई भी विवाद ऋणी को ईएमआई या उसके किसी हिस्से के भुगतान को रोकने का अधिकार नहीं देगा। ऋणी द्वारा यह सहमति और समझ में आता है कि ऋणी का ईएमआई का भुगतान करने का दायित्व पूर्ण और बिना शर्त है।

Any dispute being raised about the computation of any EMI will not entitle the Borrower/s to withhold payment of EMI or any portion thereof. It is agreed and understood by the Borrower/s that the obligation of the Borrower/s to pay the EMI is absolute and unconditional.

3.10. इस अनुबंध में निहित कुछ भी या किसी भी अन्य दस्तावेज के बावजूद जो बैंक द्वारा ऋणी को प्रदान किया जाता है, जिसमें स्वीकृति पत्र शामिल है, ऋणी सहमत हैं कि बैंक ऋण की अविध के दौरान किसी भी समय शुल्क को संशोधित करने, का हकदार होगा। बैंक ऋणी को संशोधन के बारे में सूचित करेगा, और ऋणी को ऋण के संबंध में तुरंत बाद की देय तिथि से संशोधित शुल्कों के आधार पर भुगतान करना होगा।

Notwithstanding anything contained in this Agreement or any other documents which is provided by the Bank to the Borrower/s, including without limitation the Sanction Letter, the Borrower/s agrees that the Bank shall be entitled to revise, amend and modify any of the Charges payable by the Borrower/s, at any time during the tenor of the Loan. Upon any revision of the Charges payable by the Borrower/s, the Bank shall intimate the Borrower/s of the revision, and the Borrower/s shall be required to make payment on the basis of the revised Charges, from the immediately succeeding Due Date, in relation to the Loan.

3.11 इस अनुबंध में या निष्पादित या होने वाले किसी अन्य अनुबंध में कुछ भी शामिल होने के बावजूद ऋणी द्वारा बैंक के पक्ष में निष्पादित किया गया ऋणी मांग किए जाने पर बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत है। बैंक द्वारा उस समय बकाया और सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय शेष, जिसमें सभी ब्याज शामिल हैं भुगतान की तारीख तक, किसी भी सेवा शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, कमीशन, छूट के साथ, लागत, शुल्क और व्यय और अन्य सभी पैसे डेबिट किए गए हैं या जो ऋण खाते) खातों (में डेबिट किए जा सकते हैं। Notwithstanding anything contained in this agreement or in any other agreement executed or to be executed by the Borrower in favour of the Bank the Borrower/s agrees to pay the Bank on demand being made by the Bank the balances then outstanding and owing to the Bank under the facility/ies, inclusive of all interest up to the date of payment, together with any service charges, commitment charges, commission, discount, costs, charges and expenses and all other moneys debited or which may be debited to the loan account(s).

4. पूर्वभुगतान (FORECLOSURE)

4.1. इस घटना में ऋण के संबंध में देय संपूर्ण बकाया राशि के संबंध में है, यदी उधारकर्ता द्वारा पूर्व भुगतान के समय बकाया राशि प्रभावित होता है, इस खंड 4 (पूर्वभुगतान) में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार ब्याज की गणना वास्तविक पूर्वभुगतान की तारीख तक की जाएगी।

In the event that a Prepayment is effected by the Borrower/s in respect of the entire Outstanding Balance due in respect of the Loan, in the manner and upon the terms and conditions provided for in this Clause 4 (Foreclosure), the interest would be calculated upto the date of actual foreclosure.

5. भुगतान की विधि, समय, स्थान (MODE OF PAYMENT, TIME, PLACE)

5.1. ऋणी तुरंत, पूर्ण रूप से, प्री .ई.एम.आई (यदि लागू हो), ईएमआई और इस अनुबंधके तहत देय अन्य सभी बकाया राशियों का भुगतान बिना किसी विरोध,चूक के और किसी भी सेट-ऑफ या काउंटर दावे के बिना संबंधित देय तिथियों पर करेगा।

The Borrower/s shall pay promptly, in full, the PEMIs (if applicable), EMIs and all other amounts payable under this Agreement without any demur, protest or default and without claiming any set-off or counter claim, on the respective Due Dates on which the same are due.

5.2. ऋणी, संवितरण की पहली तिथि से पहले, बैंक द्वारा निर्देशित निम्नलिखित भुगतान लिखत ("भुगतान साधन") बैंक को प्रदान करेगा:

The Borrower/s shall, prior to the first Date of Disbursement provide to the Bank, such of the following payment instruments as directed by the Bank ("Payment Instruments"):

(a) चुकौती अनुसूची में निर्दिष्ट के रूप में वह राशि जो उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जानी है, ऋणी द्वारा बैंक/नामित बैंक को जारी स्थायी निर्देशों की एक मूल प्रति, जो बैंक की शाखा/उधारकर्ता के नामित बैंक को नियत तारीखों पर बैंक को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत करती है, अथ्वा

An original copy of the Standing Instructions issued by the Borrower/s, to the Bank / designated bank, authorising the Bank's branch / designated bank of the Borrower/s to transfer to the Bank on the Due Dates, the amounts which are required to be paid by the Borrower/s, as specified in the Repayment Schedule; or

(b) बैंक द्वारा समय-समय पर अपेक्षित कोई अन्य माध्यम/लिखत/जनादेश जो बैंक को स्वीकार्य हो । Any other mode/instrument/mandate as may be acceptable to the Bank or required by the Bank from time to time.

5.3. उधारकर्ता एतद्द्वारा अपरिवर्तनीय और बिना शर्त वचन देता है कि उधारकर्ता बैंक को किसी भी भुगतान लिखत को भुनाने के लिए निर्देश जारी नहीं करेगा और संबंधित बैंक या संस्थान को ऐसे भुगतान लिखतों के संबंध में भुगतान रोकने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करेगा। यदि ऋणी ऐसा कोई निर्देश जारी करता है, तो उसे अशक्तऔर व्यर्थ माना जाएगा और इस तरह के कार्य को अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा।

The Borrower/s hereby irrevocably and unconditionally undertakes that the Borrower/s shall not issue instructions for the Bank not to encash any of the Payment Instruments and shall not issue any instruction to stop payment in respect of such Payment Instruments to the relevant bank or institution. If the Borrower/s does issue any such instructions, the same shall be considered null and void and such act shall be construed as breach of this Agreement.

5.4. उपरोक्त किसी भी तरीके से देय राशि की प्राप्ति पर ही, बैंक उधारकर्ताओं के खाते में जमा करेगा। Only on realisation of the amounts due by any mode as above, the Bank shall credit the account of the Borrower/s.

5.5. यदि इस अनुबंधके तहत कोई भुगतान उस दिन किया जाना आवश्यक है जो एक व्यावसायिक दिवस नहीं है या उस अविध के भीतर है जो उस दिन समाप्त होती है जो एक व्यावसायिक दिवस नहीं है, तो उधारकर्ता को तत्काल पर्ववर्ती व्यावसायिक दिवस पर भुगतान करना होगा।

If any payment under this Agreement is required to be made on a day which is not a Business Day or within a period which ends on a day which is not a Business Day, then the Borrower/s shall be required to make the payment on the immediately preceding Business Day.

6. सेट-ऑफ (SET-OFF)

Operations.

6.1 ऋणी एतद्द्वारा बैंक को किसी भी समय और बिना किसी सूचना के बैंक के साथ उसके खाते (अकेले या संयुक्त रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से) से बकाया राशि और ऋण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा देय अन्य कोई राशि डेबिट करने के लिए बैंक को अधिकृत करता है। बैंक किसी भी समय, ऋणी को बिना किसी सूचना के, सभी या किसी भी ऋणी की देनदारियों को या बैंक के साथ खातों (चाहे अकेले या संयुक्त रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से) सेट -ऑफ़, ट्रांसफर या बैंक के किसी भी दायित्व को उधारकर्ता के लिए या बैंक के लिए उधारकर्ता के किसी भी दायित्वों की संतुष्टि के लिए लागू करना, चाहे उधारकर्ता या बैंक के दायित्व वास्तविक या आकस्मिक, प्राथमिक या संपार्श्विक हों, कई या विभिन्न शाखाओं में देय हो, करने के लिए पूरी तरह से हकदार होगा। उधारकर्ता के खाते या खातों में अपर्याप्त धन जिसके संबंध में बैंक ने सेट-ऑफ के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यदि कोई चेक, भुगतान लिखत और/या भुगतान निर्देश अनादिरत हो जाता है या वापस कर दिया जाता है या उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो किसी भी परिणामी नुकसान सहित, किसी भी तरीके या सीमा में, बैंक किसी भी तरीके या सीमा के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

The Borrower/s hereby irrevocably authorises the Bank to debit his / her accounts with Bank (whether alone or jointly or jointly with any other person) at any time and without any notice to the Borrower/s for whole or any part or parts of the amount outstanding under the Facility and any other amounts payable by the Borrower/s under the loan documents. The Bank shall be further absolutely entitled at any time, without any notice to the Borrower/s, to combine all or any of the Borrower/s's liabilities to or accounts with Bank (whether alone or jointly or jointly with any other person) and set-off, transfer or apply any obligations of Bank to the Borrower/s in or towards satisfaction of any obligations of the Borrower/s to Bank, whether the obligations of the Borrower/s or Bank are actual or contingent, primary or collateral, several or joint, booked or payable at different branches. The Bank shall also not be liable or responsible, in any manner or extent whatsoever, including for any consequential damages, in the event any cheque, payment instrument and/or payment instruction is dishonored or returned or not acted upon due to there being no or insufficient balance in the account or accounts of the Borrower/s with respect to which the Bank has exercised its right of set-off.

1. ऋणी का प्रतिनिधित्व और वारंटियाँ (REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE BORROWER/S) Apki Ummeed Ka Khaata

- i. इस खंड 7 (उधारकर्ताओं के प्रतिनिधित्व और वारंटी) में निर्धारित अभ्यावेदन और वारंटी, इस अनुबंध की तारीख को ऋण या उसके हिस्से के प्रत्येक संवितरण पर किए जाएंगे, और इसे उधारकर्ता द्वारा दोहराया गया माना जाएगा। इस अनुबंधकी तारीख से हर दिन जब तक सुरक्षित दायित्वों का भुगतान / चुकौती नहीं की जाती है जब तक बैंक संतुष्ट नहीं हो जाता।
 - The representations and warranties set out in this Clause 7 (**Representations and Warranties of the Borrower/s**), shall be made on the date of this Agreement, each disbursement of the Loan or part thereof, and shall be deemed to have repeated by the Borrower/s on every day from the date of this Agreement until the Secured Obligations are paid/repaid and discharged to the Bank in full, to the satisfaction of the Bank:
- ii. यह पक्षों के लिए लागू सभी कानूनों के अनुपालन में है (जिसमें शामिल है पर्यावरणीय, सामाजिक श्रम और अधिशासन कानून). It is in compliance with all laws (including Environmental, Social labour and Governance Laws) applicable to the Parties.
- iii. वह ऐसी किसी भी गतिविधि, उत्पादन, उपयोग, व्यापार, वितरण या अन्यथा किसी अपवर्जित गतिविधि में भाग नहीं लेता है तंबाकू के मामले को छोड़कर, कर्जदार ऐसे क्लाइंट्स को फंडिंग नहीं देने का सारा समुचित प्रयास करेगा जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं और सुनिश्चित करेगा कि सभी घटनाएँ, ऐसे क्लाइंट्स को पक्ष की समग्र फंडिंग किसी भी समय ऐसे संबंधित फायनांसिंग प्रचालनों के संबंध में पक्ष के कुल वितरित पोर्टफोलियों के दो प्रतिशत (2%) से अधिक न हो। It is not taking part in or financing any activity, production, use of, trade in, distribution of, or otherwise involved in any Excluded Activity except that, in the case of tobacco, the Borrower shall use all reasonable efforts not to provide funding to clients engaged in such activities and shall ensure that in all events, the Party's aggregate funding to such clients shall not at any time exceed

two per cent. (2%) of the Party's total disbursed portfolio in respect of such Relevant Financing

iv. (बैंक को लिखित रूप में प्रकट की गई सीमा तक), इसे किसी भी कानून (पर्यावरणीय, सामाजिक और अधिशासन कानूनों सिहत) के उल्लंघन के लिए किए गए किसी दावे या धमकी की जानकारी नहीं है।
[Except to the extent disclosed in writing to Bank], it is not aware of any claims instituted or threatened against it for breach of any laws (including Environmental, Social and Governance

7.1. स्थिति (Status)

Laws).

उधारकर्ता प्रतिनिधित्व करता है और वारंट करता है कि: The Borrower/s/s represents and warrants that:

- (i) ऋणी एक बालिग है और स्वस्थ मन का है; The Borrower/s is/are a major and is of sound mind;
- (ii) वह एक भारतीय नागरिक है He/she is an Indian citizen

तथा (And)

इस खंड 7 में अभ्यावेदन और वारंटी इसकी तिथि को दिए गए हैं और प्रत्येक दिन तब तक दोहराए जाने के लिए समझा जाएगा, जब तक कि बैंक की संतुष्टि के लिए ऋणी द्वारा सभी बकाया देय राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाए और बैंक उधारकर्ता को इसकी पुष्टि नहीं कर देता।

The representations and warranties in this Clause 7 are made on the date hereof and shall be deemed to be repeated on each day until the payment and repayment in full by the Borrower/s of all Dues to the satisfaction of the Bank and the Bank having confirmed the same to the Borrower/s.

7.2. कोई भ्रामक जानकारी नहीं (No Misleading Information) ऋणी प्रस्तुत करता है और गारंटी देता है कि ऋणी द्वारा ऋण लेने के लिए दी गई जानकारी सही, पूर्ण और सही है और भ्रामक नहीं है।

ऋणी प्रस्तुत करता है और गारंटी देता है कि ऋणी द्वारा ऋण लेने के लिए दी गई जानकारी सही, पूर्ण और सही है और भ्रामक नहीं है। The Borrower/s represents and warrants that the information furnished by the Borrower/s for availing of the Loan is, true, complete and correct and shall not be misleading;

8. अनुबंध (COVENANTS)

8.1. सकारात्मक अनुबंध (Affirmative Covenants)

- a) ऋणी एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से अनुबंध करता है कि बैंक के स्वीकृति पत्र में उल्लिखित नियम और शर्तें ऋणी के लिए बाध्यकारी होंगी और ऋणी विशेष रूप से सहमत हैं और उक्त नियमों और शर्तों और सभीकिसी भी अन्य शर्तों का पालन करने के / समय पर निर्धारित की जा सकती हैं और उधारकर्ता को अधिसूचित की -लिए अनुबंध करते हैं और शर्तें जो बैंक द्वारा समय जा सकती हैं।
 - The Borrower/s hereby expressly covenants that the terms and conditions mentioned in the Bank's Sanction Letter shall be binding on the Borrower/s and the Borrower/s specifically agrees and covenants to abide by the said terms and conditions and all/any other terms and conditions that may be stipulated by the Bank from time to time and notified to the Borrower/s.
- b) उधारकर्ता एतद्द्वारा बैंक औरया उसके अधिकारियों से टेलीफोन कॉल/, टेक्स्ट संदेश, ईमेल, पत्र या संचार के अन्य सभी रूपों को प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, जो ऋणी को मौजूदा ब्याज दर, देय तिथियों और बकाया शेष राशि, समझौता और आगामी ई.एम.आई के बारे में सूचित करता है। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक इस उपखंड के तहत कोई भीपत्राचार करने के लिए बाध्य नहीं है और बैंक अपने विवेकाधिकार में इसे प्रदान करने या न करने का विकल्प चुन सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक देय तिथि पर देय राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी का दायित्व इस खंड के प्रावधानों से स्वतंत्र है और इस खंड 8 (अनुबंध) के अनुसार बैंक द्वारा किसी भी पत्राचार के प्रावधान या गैरप्रावधान से प्रभावित नहीं होगा।

The Borrower/s hereby agrees and consents to receive telephone calls, text messages, emails, letters or all other forms of communications from the Bank and/or its officers, informing the Borrower/s about the prevailing Interest Rate, Due Dates and Outstanding Balance under the

Agreement and upcoming EMIs. It is hereby clarified that the Bank is not obliged to provide any communication under this Sub-Clause and the Bank may provide or chose not to provide the same in its sole discretion. Additionally, the obligation of the Borrower/s, to make payments of the amounts due on every Due Date, is independent of the provisions of this clause and shall not be affected by the provision or non-provision of any communication by the Bank pursuant to this Clause 8 (Covenants).

- c) ऋणी बैंक से वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने के संबंध में समय-समय पर लागू बैंक के नियमों से खुद को परिचित रखेंगे।
 - The Borrower/s shall keep himself/itself acquainted with the rules of the Bank, in force from time to time, in relation to availing of financial facilities from the Bank.
- d) बैंक को जमा किए गए दस्तावेजों की किसी भी/सभी प्रतियों की मूल प्रतियों के सत्यापन के उद्देश्य से ऋणी किसी भी समय बैंक को मांगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे।

The Borrower/s shall submit, on demand to the Bank at any time, for the purpose of verification, the originals of any/all copies of documents submitted to the Bank;

- e) उधारकर्ता ऐसे सभी अन्य समझौतों, दस्तावेजों, घोषणाओं, उपक्रमों को निष्पादित करेंगे जो बैंक द्वारा ऋण की अविध के दौरान किसी भी समय आवश्यक हो सकते हैं। The Borrower/s shall execute all such other agreements, documents, declarations, undertakings as may be required by the Bank at any time during the tenure of the Loan;
- f) ऋणी बैंक की पूर्व लिखित सहमित के बिना अपने व्यवसाय की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करेगा। The Borrower shall not substantially alter the nature of his / her business without the prior written consent of the Bank.
- g) ऋणी एतद्द्वारा घोषणा करता है और पुष्टि करता है कि: The Borrower hereby declares and confirms that:
 - बैंक का कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार गारंटर नहीं हैं; तथा
 None of the Bank's directors or their relatives are the guarantor(s); and
 - II. उधारकर्ता बैंक या अन्य बैंकों के निदेशक या निदेशक के रिश्तेदार नहीं है; तथा
 The Borrower is not a director or a relative of a director of the Bank or of other banks; and
 - III. ऋणी बैंक के किसी अधिकारी का निर्दिष्ट निकट संबंधी नहीं है; The Borrower is not a specified near relative of any officer of the Bank;

इस खंड के प्रयोजन के लिए (For the purpose of this clause):

'निर्दिष्ट निकट संबंधी' शब्द का अर्थ होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: पित या पत्नी, पिता माता (सौतेली माँ सहित), पुत्र (सौतेला पुत्र सहित), 'पुत्र की पत्नी, बेटी (सौतेली बेटी सहित), बेटी का पित, भाई (सौतेले भाई सहित), भाई की पत्नी, बहन (सौतेली बहन सहित), बहन का पित, पित या पत्नी का भाई (सौतेला भाई सहित), पत्नी की बहन (सौतेली बहन सहित)।

The term 'specified near relative' will mean and include the following: Spouse, Father Mother (including step-mother), Son (including step-son), Son's Wife, Daughter (including step-daughter), Daughter's Husband, Brother (including stepbrother), Brother's wife, Sister (including step-sister), Sister's husband, Brother (including step-brother) of the spouse, Sister (including step-sister) of the spouse.

8.2. कुछ कार्य न करने का वादा (Negative Covenants)

ऋणी वचन देता हैहै और सहमत होता है कि, बैंक की पूर्व लिखित सहमित को छोड़कर; The Borrower/s covenants and agrees that, save with the prior written consent of the Bank;

a) उधारकर्ता किसी भी सट्टा या अवैध उद्देश्यों के लिए ऋण का उपयोग नहीं करेगा The Borrower/s shall not use the loan for any speculative or illegal purposes b) ऋणी बैंक की पूर्व लिखित सहमित प्राप्त किए बिना रोजगार या व्यवसाय के लिए या भारत से बाहर लंबे समय तक रहने के लिए बकाया शेष राशि को पूरी तरह से चुकाए बिना भारत नहीं छोड़ेगा, उधारकर्ता छोटी यात्राओं के उद्देश्य के लिए ही भारत छोड़ सकता है। किसी भी समय 60 (साठ) दिनों की अविध से अधिक यात्रा नहीं कर सकते, बशर्ते कि इस तरह की यात्रा के परिणामस्वरूप कानून के तहत उधारकर्ता के आवासीय या नागरिकता की स्थिति में कोई बदलाव न हो।

The Borrower/s shall not without obtaining the prior written consent of the Bank leave India for employment or business or for long term stay outside India without fully repaying the Outstanding Balance except that the Borrower/s may leave India for the purpose of short visits/trips not exceeding a period of 60 (Sixty) days at any given point of time, provided that such trip/ visit does not result in a change in the residential or citizenship status of the Borrower/s under Applicable Law.

8.3. जानकारी देने का दायित्व (Information Covenants)

a) उधारकर्ता किसी भी घटना के संबंध में बैंक को सभी जानकारी देगा जो उधारकर्ता के लाभ या व्यवसाय को प्रभावित करता है।

The borrower shall give all information to Bank with respect to any event which impacts either the profit or business of the Borrower.

b) ऋणी तुरंत बैंक को सूचित करेगा (i) यदि कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी किसी दिन या किसी भी समय असत्य या गलत है या हो जाती है, और/या (ii) किसी भी घटना के घटित होने के बारे में जिसके परिणामस्वरूप default की घटना हो सकती है या होने की संभावना है और/या (iii) दिवालियेपन/दिवालियापन के लिए दायर किए जा रहे आवेदन/याचिका दायर किए जाने की सूचना मिलने पर; और/या (iv) अगर उसे दायर की जाने वाली किसी अन्य कानूनी कार्यवाही की सूचना मिलती है या दायर करने की धमकी दी जाती है या उधारकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है और/या (v) यदि उधारकर्ता की किसी संपत्ति, व्यवसाय या उपक्रम के लिए संरक्षक या रिसीवर नियुक्त किया जाता है; और/या (vi) यदि उधारकर्ता की संपत्ति, व्यवसाय या उपक्रम का कोई हिस्सा संलग्न है और/या (vii) किसी भी अन्य परिस्थिति में जो संपत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है जिसमें उधारकर्ता द्वारा धरोहर राशि और/या ऋण की अदायगी शामिल है।

The Borrower/s will forthwith inform the Bank (i) if any representation or warranty is or becomes untrue or incorrect on any day or at any time, and/or (ii) of the happening of any event which shall or shall be likely to result in an Event of Default and/or (iii) on receiving a notice of application/petition being filed/intended to be filed for the bankruptcy/insolvency; and/or (iv) if it receives a notice of any other legal proceedings to be filed or threatened to be filed or initiated against the Borrower/s; and/or (v) if a custodian or receiver is appointed for any of the Borrower/s's properties, business or undertakings; and/or (vi) if any part of the Borrower/s's properties, business or undertakings is attached and/or (vii) of any other circumstance which may have an adverse impact on the property comprising the Security and/or the repayment of the Loan by the Borrower/s.

c) यदि कोई चूक की घटना या कोई घटना या परिस्थिति जो (सूचना देने के साथ, इलाज की अवधि की समाप्ति, या पूर्वगामी में से किसी के संयोजन के साथ) चूक की घटना हो, तो ऋणी तुरंत बैंक को डिफ़ॉल्ट की ऐसी घटना को निर्दिष्ट करते हुए लिखित रूप नोटिस देंगे।

If any Event of Default or any event or circumstance which would (with the giving of notice, expiry of a cure period, or any combination of any of the foregoing) be an Event of Default, the Borrower/s shall forthwith give the Bank notice thereof in writing specifying such Event of Default, or such event.

8.4 अन्य अनुबंध (Other Covenants)

बैंक से कर्जदार का अनुबंध है कि (Borrower covenants to Bank that)

a) कर्जदार पक्षों के लिए लागू सभी कानूनों का पालन करेगा (जिसमें शामिल हैं पर्यावरण, सामाजिक श्रम और अधिशासन संबंधी कानून)।

Borrower shall comply with all laws (including laws relating to environment, social labour and governance Laws) applicable to the Parties.

- b) कर्जदार सहमत है कि वह ऐसी किसी भी गितविधि, उत्पादन, उपयोग, व्यापार, वितरण या अन्यथा किसी अपवर्जित गितविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है तंबाकू के मामले को छोड़कर, बैंक ऐसे क्लाइंट्स को फंडिंग नहीं देने का सारा समुचित प्रयास करेगा जो ऐसी गितविधियों में संलिप्त हैं और सुनिश्चित करेगा कि सभी घटनाएँ, ऐसे क्लाइंट्स को पक्ष की समग्र फंडिंग किसी भी समय ऐसे संबंधित फायनांसिंग प्रचालनों के संबंध में पक्ष के कुल वितरित पोर्टफोलियों के दो प्रतिशत (2%) से अधिक न हो ।
 - Borrower agrees that it shall not directly or indirectly, take part in or financing any activity, production, use of, trade in, distribution of, or otherwise involved in any excluded activity except that, in the case of tobacco, the Bank shall use all reasonable efforts not to provide funding to clients engaged in such activities and shall ensure that in all events, the Party's aggregate funding to such clients shall not at any time exceed two per cent. (2%) of the Party's total disbursed portfolio in respect of such Relevant Financing Operations.
- c) कर्जदार अपने कर्मचारियों, सलाहकारों या अन्य एजेंटों को सीमित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाएँ और नीतियाँ लागू करेगा जो उन्हें (ए) किन्हीं शर्तों, अनुबंधों या इस समझौते की घोषणाओं और (बी) पर्यावरणीय, सामाजिक और अधिशासन के कानूनों का उल्लंघन करते हैं।
 - Borrower shall put in place appropriate procedures and policies to restrict its employees, consultants or other agents from causing breach of (a) any conditions, covenants or undertakings under this [agreement] and (b) Environmental, Social and Governance Laws.
- d) कर्जदार उपयुक्त प्रक्रियाएँ और नीतियाँ लागू करके 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कार्यस्थल पर आने से निषिद्ध करेगा, जो उनके प्रत्यक्ष नियोक्ता से संबंधित ही क्यों न हो । Borrower shall put in place appropriate procedures and policies to prohibit the engagement of any person under 18 years of age on a worksite, regardless of their direct employer.
- e) कर्जदार सभी मजदूरों के सामूहिक रूप से (ट्रेड यूनियन या अन्य उपयुक्त तंत्र के माध्यम से) मोल-भाव करने के अधिकार के संबंध में उपयुक्त प्रक्रियाएं और नीतियाँ लागू करेगा. इसके अलावा, वह मजदूरों की ट्रेड यूनियन की सदस्यता के आधार पर मजदूरों के खिलाफ किसी भी रोजगार के फैसले के संदर्भ में भेदभाव नहीं करेगा।

 Borrower shall put in place appropriate procedures and policies to respect the right of all workers to bargain collectively (through a trade union or other appropriate mechanisms). Additionally, it shall not discriminate in respect of any employment decision against workers on the grounds of their trade union membership.
- f) Borrower shall best endeavours to ensure that all subcontractors, including labour-only contractors, are required to comply with all Environmental, Social Labour and Governance Laws and with clauses III (d) & (e) related to child labour and freedom of association. कर्जदार यह सुनिश्चित करने के लिए श्रेष्ठ प्रयास करेगा कि सभी उप ठेकेदार, केवल मजदूरों के ठेकेदार सहित, बाल मजदूरी और संगठन की स्वतंत्रता से संबंधित सभी पर्यावरणीय, सामाजिक श्रम और अधिशासन कानूनों का पालन अनुच्छेद 3 (डी) और (ई) के साथ करेंगे।
- g) यदि बैंक द्वारा आवश्यक होता है तो कर्जदार ईएसजी कार्य योजना को अंतिम रूप देगा और उसमें दिए गए पड़ावों का पालन करेगा।
 - Borrower shall, if required by Bank, finalize an ESG Action Plan, and comply with the milestones provided therein.
- n) कर्जदार बैंक को (प्रोजेक्ट) के बारे में ऐसी जानकारी जो आवश्यक समझी जाती है और अपेक्षित है बैंक को देगा और गंभीर घटनाओं के बारे में 24 घंटे के अंदर बैंक को देगा (जिसमें शामिल है, बिना मर्यादा के, विस्फोट, कोई कार्यस्थल की दुर्घटना जिसके परिणामत: मृत्यु, गंभीर या अनेक चोटें, प्रदूषण या कोई हिंसक मजदूर उपद्रव या कंपनी और स्थानीय समाज के बीच विवाद) ।
 - Borrower shall deliver to Bank, such information on the [project] as may be considered necessary or desirable to Bank, and to report on serious incidents within 24 hours (including, without limitation, explosions, any workplace accidents that result in death, serious or multiple injury, material pollution, or any violent labour unrest or dispute between the Company and local communities)

i) कर्जदार (बैंक से (Z) दिनों की पूर्व सूचना मिलने पर) बैंक को (अपने प्रतिनिधियों या उसके द्वारा नामित व्यक्तियों के माध्यम से) बैंक को कर्जदार के प्रचालनों, व्यवसाय और गतिविधियों का निरीक्षण, परीक्षण और लेखा परीक्षण करने की अनुमित देगा ।

Borrower shall promptly, [upon receiving [Z] days prior notice from Bank,] permit Bank (through its representatives, delegates or persons nominated by it), to inspect, examine and audit, the operations, business, and activities of Borrower

9. डिफ़ॉल्ट (चूक) की घटनाएं (EVENTS OF DEFAULT)

9.1. (निम्नलिखित में से कोई भी घटना ("डिफ़ॉल्ट[(चूक)] की घटनाएँ") इस अनुबंधके तहत डिफ़ॉल्ट की घटना मानी जाएगी)

Any of the following events ("Events of Default") shall constitute an Event of Default under this Agreement

- a) यदि संबंधित देय तिथियों पर दायित्वों (या उसके किसी भाग) के भुगतान / चुकौती में कोई चूक हुई है। If any default has occurred in payment/repayment of the Obligations (or any part thereof) on the respective Due Dates.
- b) यदि उधारकर्ता द्वारा दिए गए किसी भी अभ्यावेदन, वारंटी, घोषणा या बयान, चाहे इस अनुबंधके तहत या किसी भी अन्य अनुबंध/ दस्तावेजों के तहत और / या आवेदन पत्र में निष्पादित या उधारकर्ता द्वारा दी गई कोई अन्य जानकारी गलत, झूठे, भ्रामक, उस समय जब अनुबंध बनाया गया गलत पाई जाती है या ऋण की निरंतरता को भौतिक रूप से प्रभावित करता है या उधारकर्ता कोई उल्लंघन करता है या धमकी देता है या अस्वीकार करता है या अस्वीकार करने की धमकी देता है या किसी अन्य के संपादन में चूक है इस अनुबंधके तहत उधारकर्ता की ओर से किसी शर्त को प्रभावित करता है।

 If any of the representations, warranties, declarations or statements made by the Borrower/s, whether under this Agreement or any other agreements/documents executed pursuant hereto and/or in the Application Form or any other information given by the Borrower/s are found to be incorrect, false, misleading, inaccurate at the time when they are made or deemed to be made or materially affecting the continuation of the Loan or the Borrower commits or threatens to commit
- c) उधारकर्ता (यदि एक से अधिक, उनमें से कोई भी) मर जाता है या कोई कदम उठाता है या किसी भी अधिकार क्षेत्र में उसे दिवालिया होने की दृष्टि से या किसी रिसीवर, ट्रस्टी या किसी के समान अधिकारी की नियुक्ति की दृष्टि से उसकी संपत्ति में कोई प्रभाव पड़ सकता है।

 The Borrower/s (if more than one, any of them) dies or takes any steps or any steps are taken with a view to his being made insolvent in any jurisdiction or with a view to the appointment of a receiver, trustee or similar officer of any of his assets;

any breach or repudiates or threatens to repudiate or there is default in performance of any other

covenant, condition or stipulation on the part of the Borrower under this Agreement

- d) किसी भी कारणवश, खंड 3 के अनुसार दिए गए पोस्ट-डेट चेक / एसआई / ईसीएस निर्देशों के निरसन सिहत भुगतान साधनों के भुगतान को रोकने के लिए उधारकर्ता द्वारा कोई भी निर्देश दिया जाता है, Any instructions are given by the Borrower/s for stop payment of Payment Instruments including Post-Dated Cheques/ revocation of SI / ECS instructions, given as per Clause 3, for any reason whatsoever,
- e) यदि कोई भुगतान लिखत अनादरित हो जाता है या वैध और बाध्यकारी नहीं रह जाता है। If any of the Payment Instruments are dishonored or cease to be valid and binding.
- f) यदि उधारकर्ता के लाभ या भुगतान करने की क्षमता या आवेदन पत्र के किसी अन्य प्रासंगिक पहलू से संबंधित कोई महत्वपूर्ण तथ्य बैंक से छुपाया गया है या नहीं बताया गया है। If any material fact concerning the Borrower/s's profit or ability to repay or any other relevant aspect of Application Form is withheld, suppressed or not made known to the Bank.
- g) यदि समय-समय पर बैंक द्वारा किए गए किसी क्रेडिट ब्यूरों से उधारकर्ताओं पर क्रेडिट रिपोर्ट या उधारकर्ता पर कोई अन्य समान क्रेडिट जांच बैंक के लिए असंतोषजनक पाया जाता है, जैसा कि बैंक अपने विवेकाधिकार पर निर्णय ले सकता है;

If the credit report on the Borrower/s from any credit bureau conducted by the Bank from time to time or any other similar credit check on the Borrower/s is unsatisfactory to the Bank as the Bank may decide at its sole discretion;

- h) यदि उधारकर्ता या उसकी संपत्तियों पर कोई कुर्की, संकट, निष्पादन या अन्य प्रक्रिया लागू की जाती है, या उधारकर्ता की किसी संपत्ति / संपत्ति के संबंध में एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है; If any attachment, distress, execution or other process is enforced, initiated or levied upon the Borrower or its properties or a receiver is appointed in respect any property /assets of the Borrower/s;
- i) यदि उधारकर्ता किसी भी कारण से अपने व्यवसाय/व्यापार को बंद करने या बंद करने का विकल्प चुनता है; If the Borrower opts to discontinue or close down his/their business/trade for any reason whatsoever;

यह पूछे जाने पर कि क्या उपरोक्त में से कोई घटना/परिस्थिति हुई है, बैंक का निर्णय अंतिम निर्णायक होगा और ऋणी के लिए बाध्यकारी होगा।

On the question whether any of the above events / circumstances has/ have occurred / happened, the decision of the Bank shall be final conclusive and binding on the Borrower/s.

9.2. चूक की घटना के घटित होने पर सूचना (Notice on the happening of an Event of Default)

यदि कोई चूक की घटना या कोई घटना, जो नोटिस या समय की चूक के बाद या दोनों के बाद डिफ़ॉल्ट की घटना मानी जाती है, तो ऋणी, तुरंत बैंक को लिखित रूप में इस तरह की चूक की घटना, या ऐसी घटना को निर्दिष्ट करते हुए नोटिस देगा। जो नोटिस या समय की चूक या दोनों के बाद डिफ़ॉल्ट की घटना मानी जायेगी। हालांकि, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उधारकर्ता द्वारा बैंक को ऐसी कोई सूचना दी गई है या नहीं और/या बैंक द्वारा प्राप्त की गई है, चूक की घटना पर बैंक का निर्धारण अंतिम और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा और यह खंड 9.2 खंड 9.3 (डिफ़ॉल्ट की एक घटना के परिणाम) के पूर्वाग्रह के बिना होगा।

If any Event of Default or any event which, after notice or lapse of time or both would constitute an Event of Default shall have happened, the Borrower/s shall forthwith give the Bank notice thereof in writing specifying such Event of Default, or such event, which after notice or lapse of time or both would constitute an Event of Default. However, irrespective of whether or not any such notice is given by the Borrower/s to the Bank and/or received by the Bank, the Bank's determination on the occurrence of an Event of Default shall be final and binding on the Borrower/s and this Clause 9.2 is and shall be without prejudice to Clause 9.3 (Consequences of an Event of Default) hereof.

9.3. चूक की घटना के परिणाम, लागू कानून के तहत बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चूक की घटना होने पर, बैंक के पूर्ण विवेक पर; बैंक निम्नलिखित में से किसी एक या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार (चाहे एक साथ या अन्यथा) होगा ।

Consequences of an Event of Default Without prejudice to the other rights or remedies available to the Bank under Applicable Law, on the occurrence of an Event of Default, the Bank shall be entitled to exercise any or all of the following rights (whether simultaneously or otherwise), at the sole discretion of the Bank:

- बकाया राशि को ब्याज के साथ घोषित करें और अन्य सभी राशि तुरंत देय हों, जिसके बाद उधारकर्ता बैंक द्वारा जारी लिखित सूचना प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 7 (सात) व्यावसायिक दिवस के भीतर पूरे बकाया राशि का निर्वहन करने के लिए बाध्य होंगे।
 - Declare the Outstanding Balance together with Interest accrued and all other monies to be immediately due and payable, whereupon the Borrower/s shall be bound to discharge the entire Outstanding Balance within a maximum of 7(Seven) Business Day from the date of receipt of the written notice issued by the Bank in this regard;
- b) उपार्जित ब्याज के साथ बकाया शेष राशि को वापस करने को बोला जायेगा, चुकौती अनुसूची में या कहीं और कुछ भी बताए जाने के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा इस तरह की वापसी की प्राप्ति के 7 (सात) कार्य दिवस के भीतर देय हो जाएगा।

Recall the Outstanding Balance together with accrued interest, whereupon the same will become payable by the Borrower/s within 7 (seven) Business Day of receipt of such recall, notwithstanding anything stated in the Repayment Schedule or elsewhere;

- c) लागू कानून के तहत अनुमत या उपलब्ध ऐसे अन्य अधिकारों और उपायों का प्रयोग करें; Exercise such other rights and remedies as permitted or available under Applicable Law;
- d) किसी भी व्यक्ति को, जो ऋणी को कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, सीधे बैंक को भुगतान करने के लिए निर्देश दें; Instruct any person, who is liable to make any payment to the Borrower/s, to pay directly to the Bank;
- e) ऋणी द्वारा जमा किए गए मांग वचन पत्र (DPN) के तहत बैंक के अधिकारों को लागू करें। Enforce the Bank's rights under the demand promissory note(DPN) submitted by the Borrower/s.
- f) आरबीआई या किसी अन्य संस्था या साधन के माध्यम से उधारकर्ता के नाम की रिपोर्ट प्रकाशित करें (और यिद इस घटना में कि उधारकर्ता एक व्यक्ति नहीं है; निदेशकों, भागीदारों, प्रमोटरों, उधारकर्ता के मालिकों के नाम) इसे आरबीआई की विलफुल डिफॉल्टरों की सूची में किसी भी माध्यम से प्रकाशित करें। तथा; Report and publish the Borrower/s's name (and in the event that the Borrower/s is not an individual, the names of the directors, partners, promoters, proprietors of the Borrower/s) to the RBI or any other entity or instrumentality, through any medium for publishing the same in the willful defaulters list of the RBI. And/or
- g) ऐसी अन्य कार्रवाई करें जिसकी सलाह दी जाए।; Take such other action as may be advised;

9.4. चूक की घटना होने के बाद बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतें, निम्नलिखित के संबंध में: All costs incurred by the Bank including any cost incurred after an Event of Default has occurred, in connection with:

a) इस अनुबंधके तहत देय राशि का संग्रह ऋणी से लिया जाएगा और ऋणी द्वारा बैंक को उस पर ब्याज (यदि कोई हो) के साथ प्रतिपूर्ति की जाएगी।

The collection of amounts due under this Agreement shall be charged to the Borrower/s and reimbursed by the Borrower/s to the Bank with interest thereon (if any).

10. चूक की स्तिथि में ऋणी द्वारा प्राप्त राशि का नियोजन (APPLICATION AND APPROPRIATION OF PROCEEDS):

10.1. उधारकर्ता सहमत है, घोषणा करता है, और पुष्टि करता है कि भारतीय संिवदा अधिनियम, 1872 या किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान के बावजूद, या इस अनुबंधऔर / या किसी भी सुरक्षा दस्तावेज में निहित किसी भी नियम और शर्तों के विपरीत, ऋणी द्वारा किए गए किसी भी भुगतान अथवा कोई भी राशि जो बैंक द्वारा ऋणी से बंधक के प्रवर्तन पर जो भी प्राप्त होता है, जब तक कि बैंक द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, बैंक द्वारा निम्नलिखित तरीके से विनियोजित किया जाएगा:

The Borrower agrees, declares, affirms and confirms that notwithstanding any of the provisions of the Indian Contract Act, 1872 or any other law, or any terms and conditions to the contrary contained in this Agreement and / or any security documents, any payment(s) made by the Borrower to the Bank and any amounts which are realised by the Bank from the Borrower/s on enforcement of the Security or otherwise whatsoever shall unless otherwise agreed to by the Bank in writing be appropriated by the Bank in the following manner:

- a) लागत, शुल्क, व्यय, <u>प्रासंगिक</u> शुल्क और अन्य धन जो इस अनुबंध के संबंध में बैंक द्वारा वार्षिक शुल्क (यदि लागू हो) के साथ व्यय किए गए हो सकते हैं, Costs, charges, expenses, incidental charges and other monies that may have been expended by the Bank in connection with this Agreement along with Annual Fee (if applicable),
- b) अनुबंध से सम्बंधित कोई अन्य शुल्क;

Any other Charges in relation to the Agreement;

- c) डिफ़ॉल्ट ब्याज, Default Interest,
- d) प्री .ई.एम.आई (यदि लागू हो), PEMI (if applicable),
- e) इस अनुबंध के तहत देय ब्याज, Interest payable under this Agreement,
- f) इस अनुबंध के तहत ऋण की मूल राशि Principal amount of the Loan under this Agreement,
- g) ऋणी का बैंक का अन्य ऋण Other indebtedness of the Borrower/s to the Bank;

11. सूचनाओं का सही सही बताया जाना (DISCLOSURE OF INFORMATION):

11.1. ऋणी स्वीकार करता है और समझता है कि बैंक को ऋण प्रदान करने से संबंधित एक पूर्व शर्त के रूप में, बैंक द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा के उधारकर्ता से संबंधित जानकारी और डेटा के प्रकटीकरण के लिए उधारकर्ता की सहमित की आवश्यकता होती है। ऋणी द्वारा उसके संबंध में और चूक, यदि कोई हो, ऋणी द्वारा उसके निर्वहन में प्रतिबद्ध है।

The Borrower/s accepts and understand that as a pre-condition, relating to grant of the Loan, the Bank, requires Borrower/s's consent for the disclosure by the Bank of, information and data relating to the Borrower/s of the credit facility availed of/to be availed, by the Borrower/s, obligations assumed/to be assumed, by the Borrower/s in relation thereto and default, if any, committed by the Borrower/s in discharge thereof. The Borrower/s specifically waives the privilege or claim of privacy, privity and/or defamation.

तद्नुसार, ऋणी एतद्दवारा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा सभी या इनमें से किसी एक का खुलासा करने के लिए सहमति देता है:

Accordingly, the Borrower hereby agrees and gives consent for the disclose by Utkarsh Small Finance Bank Limited of all or any such:

- a) उधारकर्ता से संबंधित सूचना और डेटा Information and data relating to Borrower(s).
- b) बैंक द्वारा दी गई / दी जाने वाली किसी भी क्रेडिट सुविधा में उधारकर्ता के दायित्वों से संबंधित जानकारी या डेटा
 - The information or data relating to Borrower(s) obligations in any credit facility granted/ to be granted by the Bank
- c) उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रूप में उधारकर्ता के ऐसे दायित्व के निर्वहन में उधारकर्ता द्वारा प्रतिबद्ध डिफ़ॉल्ट, यदि कोई हो, क्रेडिट सूचना कंपनियों/ Credit Information Companies (सी.आई.सी) और आर.बी.आई द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी अन्य एजेंसी, आर.बी.आई और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ए.आर.सी) सहित को खुलासा करने और प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त और आवश्यक हो सकता है। Default, if any, committed by borrower in discharge of borrower(s)' such obligation as the Utkarsh Small Finance Bank Limited may deem appropriate and necessary to disclose and furnish to Credit Information Companies (CICs) and any other agency authorized in this behalf by RBI including RBI and Asset Reconstruction Companies (ARC).
- d) उधारकर्ता घोषित करता है कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को उधारकर्ता द्वारा दी गई जानकारी और डेटा सत्य और सही है।
 - The Borrower declares that the information and data furnished by Borrower to the Utkarsh Small Finance Bank Limited are true and correct.

उधारकर्ता यह वचन देतें है कि (The Borrower undertakes that) -

- a) क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां (सीआईसी) और/या सी.आई.बी.आई.एल, आर.बी.आई और ए.आर.सी सिहत अधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंक द्वारा प्रकट की गई उक्त जानकारी और डेटा का उनके द्वारा उचित समझे जाने के तरीके का उपयोग/संसाधन कर सकती है। तथा The Credit Information Companies (CICs) and/or any other agency so authorized including CIBIL and RBI & ARC may use / process the said information and data disclosed by the Bank in the manner
- b) क्रेडिट सूचना कंपनियां (सीआईसी)। और/या सिबिल, आर.बी.आई और एआरसी सिहत इस प्रकार अधिकृत अन्य एजेंसी बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट गारंटरों या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को, जैसा कि आर.बी.आई द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी और डेटा या उत्पादों पर विचार के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। The Credit Information Companies (CICs). and/or other agency so authorized including CIBIL and RBI & ARC may furnish for consideration, the processed information and data or products thereof prepared by them, to Banks/Financial Institutions and other credit guarantors or registered users, as may be specified by the Reserve Bank of India in this behalf.

12. ऋण का साक्ष्य (EVIDENCE OF DEBT)

as deemed fit by them and

12.1 इस अनुबंध के तहत देय किसी भी राशि के लिए बैंक द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य परिस्थिति में बनाए गए रिकॉर्ड और खाते इस अनुबंध से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही में ऋणी के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत और पर्याप्त सबूत होंगे।

The records and accounts maintained by the Bank in its ordinary course of business for any amounts due under this Agreement shall be prima facie evidence and sufficient proof against the Borrower/s in any legal action or proceeding arising out of or in connection with this Agreement and/or the Documents.

12.2 इस अनुबंध और/या दस्तावेजों के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही में, बैंक द्वारा बनाए गए खातों में दर्ज की गई और वसूली की राशि, वसूल और खर्च की गई प्रविष्टियां उधारकर्ता के अस्तित्व और दायित्वों की मात्रा का प्रथम दृष्टया सबूत होंगी।

In any legal action or proceeding arising out of or in connection with this Agreement and/or the Documents, the entries made in the accounts maintained by the Bank shall be prima facie evidence of the existence and amounts of the obligations of the Borrower/s therein recorded and amount of realization, recovered and expended;

12.3 ऋणी एतद्द्वारा इस अनुबंध के तहत देय किसी भी राशि के लिए बैंक के खातों को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं, और यह दस्तावेज, बीमा, लागत, शल्क और खर्च बैंक द्वारा खर्च की जा रही राशि के पर्याप्त प्रमाण हैं।

The Borrower/s hereby agree/s to accept the Bank's accounts for any amounts due under this Agreement and/or the Documents, insurance, costs, charges and expenses as sufficient proof of the amount being spent by the Bank

13. अभिहस्तांकन और प्रतिभूतिकरण (ASSIGNMENT AND SECURITISATION)

13.1. उधारकर्ता इस अनुबंध के तहत किसी भी व्यक्ति को बैंक की पूर्व लिखित सहमित के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी उधारकर्ता के अधिकारों या दायित्वों को हस्तांतिरत करने या सौंपने का हकदार नहीं होगा, जिसे बिना कोई कारण बताए बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता है। हालाँकि, यह समझौता उधारकर्ता के उत्तराधिकारियों को बाध्य करेगा।

The Borrower/s shall not be entitled to transfer or assign any of the Borrower/s's rights or obligations under this Agreement to any person directly or indirectly without the prior written consent of the Bank which may be refused by the Bank without assigning any reason. This Agreement shall, however, bind the successors of the Borrower/s.

13.2. ऋणी आगे इस बात से सहमत है कि बैंक किसी भी समय ऋणी की सहमति की आवश्यकता के बिना किसी भी पार्टी को प्रतिभूतिकरण, प्रत्यक्ष हस्तांतरण और सौंप सकता है अन्यथा अपने किसी भी अधिकार, लाभ या दायित्वों के माध्यम से हस्तांतरण, असाइन या नवीकृत कर सकता है। इस तरह से और ऐसी शर्तों पर, जैसा कि बैंक निर्णय ले सकता है, जिसमें क्रेता, समनुदेशिती या अंतरिती की ओर से उधारकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बैंक को अपनी शक्तियों को बनाए रखने का अधिकार शामिल है। ऋणी एतद्दवारा ऐसे किसी भी कार्य, स्थानांतरण और नवीकरण के लिए स्पष्ट रूप से सहमित देता है। ऋणी ऐसे अंतरिती/समनुदेशिती/नवीकृत के प्रति अपने सभी दायित्वों को पूरा करने और निष्पादित करने के लिए सहमत है। यह समझौता बैंक के उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए भी सुनिश्चित करेगा।

The Borrower/s further agrees that the Bank may at any time transfer, assign or novate by way of securitization, direct transfer and assignment or otherwise any of its rights, benefits or obligations herein to any party without the requirement of any further consent of the Borrower/s in such manner and on such terms as the Bank may decide, including reserving a right to the Bank to retain its powers hereunder to proceed against the Borrower/s on behalf of the purchaser, assignee or transferee. The Borrower/s hereby expressly consents to any such assignment, transfer, and novation. The Borrower/s agrees to fulfill and perform all his obligations to such transferee/assignee/novatees. This Agreement shall also ensure for the benefit of the successors of the Bank.

14. संग्रह (COLLECTIONS)

उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि बैंक अपना कार्य करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी गतिविधियाँ स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से, इस अनुबंध के तहत अधिकारों और शक्तियों से संबंधित हैं :बैंक की ओर से संग्रह करने और प्राप्त करने के अधिकार और अधिकार सिहत ऋण का प्रशासन इस अनुबंध के तहत ऋणी द्वारा देय सभी देय और अवैतिनक राशियों से और प्रदर्शन करने के लिए और सभी कानूनी कृत्यों, कार्यों, मामलों और उससे जुड़ी और उसके आनुषंगिक चीजों को निष्पादित करना, जिसमें शामिल हैं : नोटिस भेजना, ऋणी से नकद/चेक/ड्राफ्ट/मैंडेट प्राप्त करना, ऋणी से संपर्क करना और ऋणी को वैध और प्रभावी रसीदें और उन्मोचन देना।

The Borrower/s expressly recognises and accepts that the Bank shall without prejudice to its right to perform such activities itself or through its officers or employees, have rights and powers under this Agreement relating to the administration of the Loan including the right and authority to collect and receive on behalf of the Bank from the Borrower/s all due and unpaid amounts due by the Borrower/s under this Agreement and to perform and execute all lawful acts, deeds, matters and things connected therewith and incidental thereto including sending notices, contacting the Borrower/s receiving cash/ cheques / drafts/ Mandates from the Borrower/s and giving valid and effectual receipts and discharge to the Borrower/s.

15. नोटिस (NOTICES)

15.1. बैंक उधारकर्ता को कोई भी नोटिस प्रीपेड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कूरियर द्वारा अंतिम ज्ञात पते पर भेजने का हकदार होगा। नोटिस को उधारकर्ता द्वारा प्राप्त माना जाएगा:(i) यदि डाक या कूरियर को डाकघर या कूरियर कार्यालय में पहुँचा दिया जाएगा (उसके 3 (तीन) कलैण्डर दिनों की समाप्ति पर); तथा (ii) यदि व्यक्तिगत रूप से वितिरत किया जाता है, जब उपरोक्त के रूप में उधारकर्ता के पते पर छोड़ दिया जाता है, और बैंक के एक अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र जिसने इस तरह की सूचना या पत्र भेजा है कि वह दिया गया था या किया गया था, अंतिम और निर्णायक होगा। ऋणी द्वारा बैंक को भेजे जाने वाले किसी भी नोटिस को ऊपर बताए गए पते पर प्रीपेड डाक द्वारा भेजा जाएगा। बैंक को संबोधित किसी भी नोटिस को बैंक द्वारा प्राप्त तभी माना जाएगा जब वह वास्तव में बैंक द्वारा प्राप्त किया गया होगा।

The Bank shall be entitled to send any notice to the Borrower/s by prepaid post, speed post, courier at the addresses last known to it. The Notice shall be deemed to be received by the Borrower/s: (i) if sent by post and / Courier on the expiration of 3 (Three) calendar days after the same shall have been delivered to the post office / Courier office; and (ii) if delivered personally, when left at the address of the Borrower/s as aforesaid, and a certificate by an officer of Bank who sent such notice or communication that the same was so given or made shall be final and conclusive. Any notice to be sent to the Bank by the Borrower/s shall be sent by prepaid post at the addresses mentioned above. Any notice addressed to the Bank shall be deemed to be received by the Bank when it shall have been actually received by the Bank.

15.2. उधारकर्ता बैंक को लिखित में 15 (पंद्रह) कैलेंडर दिन पहले, उधारकर्ता के पते में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करेगा और जैसा कि रिकॉर्ड में कहा गया है, ऐसा न करने पर बैंक द्वारा बैंक को कोई भी पत्राचार भेजा जाएगा। उधारकर्ता, अभिलेखों में उपलब्ध पतों पर, उधारकर्ता को विधिवत तामील कर दिया गया माना जाएगा। The Borrower/s shall intimate in writing to the Bank 15 (Fifteen) calendar days in advance of any change in the address of the Borrower/s herein above given and as stated in the records, failing which any

correspondence sent by the Bank to the Borrower/s, to the addresses available in records shall be deemed to have been duly served upon the Borrower/s.

16. विविध (MISCELLANEOUS)

16.1. बैंक, इस संबंध में ऋणी के अनुरोध पर, लागू कानून के अधीन ,ऋणी को ऋण खाते का विवरण प्रदान कर सकता है।

The Bank may, upon a request by the Borrower/s in this regard provide statement(s) of the Loan account to the Borrower/s subject to Applicable Law.

16.2. बैंक के पास, किसी भी समय, उधारकर्ता और/या किसी प्रतिभूति के संबंध में CIBIL या अन्य क्रेडिट ब्यूरो चेक शुरू करने का अधिकार है और उधारकर्ता एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उधारकर्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है और इसके लिए वह सहमति देते है।

The Bank have the right, at any time, to initiate CIBIL or other credit bureau checks in relation to the Borrower/s and/or any Security and the Borrower/s hereby declares that the Borrower/s has no objection to the same and hereby consents to the same.

16.3. अनुसूचियों (Schedules)

इसके अंतर्गत लिखे गए सभी भागों सहित संपूर्ण अनुसूची इस अनुबंध का हिस्सा बनेगी और एक दूसरे के साथ मिलकर पढी जाएगी।

The entire Schedule including its all the parts, here under written shall form part of this Agreement and shall be read in conjunction with each other.

16.4. अप्रत्याशित घटना (Force Majeure)

बैंक इस अनुबंध या संबंधित दस्तावेजों के तहत या ऋण के संबंध में किसी भी दायित्व को पूरा करने में किसी भी विफलता या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जहां ऐसी विफलता या देरी बैंक के उचित नियंत्रण से परे किसी भी घटना के कारण होती है, जिसमें (लेकिन सीमित नहीं): पूर्वगामी की व्यापकता, ईश्वरीय कार्यों, नागरिक अशांति, आतंकवादी गतिविधि, युद्ध, हड़ताल, महामारी या व्यापक संगरोध के पूर्वाग्रह के बिना शामिल हो।

The Bank shall not be liable for any failure or delay in performing any obligation to the Borrower/s under this Agreement or related documents or in connection with the Loan where such failure or delay is due to any event beyond the reasonable control of the Bank, including (but not limited to) without prejudice to the generality of the foregoing, acts of God, civil disturbances, terrorist activity, wars, strikes, epidemic or widespread quarantine. The Bank would resume performance as soon as reasonably practicable after the reason or event preventing or delaying performance ceases or abates.

16.5 यह कि उधारकर्ता ने इस अनुबंध को पढ़ और समझ लिया है और इस घटना में कि उधारकर्ता निरक्षर है और/या अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ सकता है, इस अनुबंध के नियमों और शर्तों को मातृभाषा में उधारकर्ता को विस्तार से पढ़ा, अनुवादित और समझाया गया है। That the Borrower has read and understood this Agreement and in the event that the Borrower is illiterate and/or cannot read English language, the terms and conditions of this agreement have been read over, translated and explained in detail in the vernacular language to the Borrower.

17. विभाज्यता (SEVERABILITY)

यदि इस अनुबंध का कोई प्रावधान लागू कानून के तहत अमान्य या अप्रवर्तनीय या निषिद्ध है जहां उस प्रावधान को दर्शाया जाना है, तो इस अनुबंध को ऐसे प्रावधान के रूप में विभाज्य माना जाएगा और ऐसा प्रावधान निष्क्रिय होगा और दोनों में से किसी से भी आगे बढ़ने वाले विचार का हिस्सा नहीं होगा। इस के साथ साथ, दूसरे के लिए और इस अनुबंध का शेष वैध और बाध्यकारी और समान प्रभाव वाला होगा जैसे कि इस तरह के प्रावधान को यहां शामिल नहीं किया गया है। If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable or prohibited under Applicable Law where that provision is to be performed, this Agreement shall be considered divisible as to such provision and such provision shall be inoperative and shall not be part of the consideration moving from either Party hereto to the other and the remainder of this Agreement shall be valid and binding and of like effect as though such provision was not included herein.

18. संशोधन (AMENDMENTS)

बैंक इन नियमों और शर्तों में से किसी को भी बदलने, संशोधित करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और किसी भी तरीके से नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में उधारकर्ता को सूचित कर सकता है। The Bank reserves the right to alter, amend or revise any of these terms and conditions and may notify the Borrower/s of any changes to terms and conditions in any manner it considers appropriate

19. शासी कानून, क्षेत्राधिकार और मध्यस्थता (GOVERNING LAW, JURISDICTION AND ARBITRATION)

19.1. उभय यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित होगा। This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of India.

19.2. पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि किसी भी संपार्श्विक दस्तावेज सिहत इस अनुबंध से संबंधित सभी विवाद उस शहर के न्यायालयों / न्यायाधिकरणों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे जिसमें ऋण कार्यालय / शाखा स्थित है। The Parties hereto expressly agree that all disputes arising out of and / or relating to this Agreement including any collateral document shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts/tribunals of the city in which the Lending Office / Branch is situated.

19.3 बशर्ते आगे कि यदि इस अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाला कोई विवाद बैं ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 (RDB अधिनियम) / The Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (RDB Act), के तहत स्थापित ऋण वसूली न्यायाधिकरण की आर्थिक क्षेत्राधिकार सीमा से कम है, तो ऐसे विवाद को मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration & Conciliation Act, 1996) के प्रावधानों के अनुसार संदर्भित किया जाएगा, जैसा कि संशोधित किया जा सकता है, या बैंक द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा इसका पुन: अधिनियमन किया जा सकता है। यदि किसी पक्ष को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई द्वारा एक मध्यस्थ पुरस्कार लागू करने की आवश्यकता होती है, तो जिस पक्ष के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाती है, वह सभी उचित लागतों और खर्चों और वकील की फीस का भुगतान करेगा, जिसमें पार्टी द्वारा की गई अतिरिक्त मुकदमेबाजी या मध्यस्थता की कोई भी लागत शामिल है।

Provided further that if any dispute arising under this Agreement is below the pecuniary jurisdiction limit of the Debt Recovery Tribunals established under Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), then such dispute shall be referred to arbitration in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 as may be amended, or its re-enactment, by a sole arbitrator, appointed by the Bank. The arbitration proceeding shall be conducted in the English language. The award passed by the arbitrator shall be final and binding on the Parties. The costs of such arbitration shall be borne by the losing Party or otherwise as determined in the arbitration award. The venue of the arbitration shall be the city in which the Lending Office / Branch is situate or such other place as may be determined by the Bank. If a party is required to enforce an arbitral award by legal action of any kind, the party against whom such legal action is taken shall pay all reasonable costs and expenses and attorney's fees, including any cost of additional litigation or arbitration taken by the party seeking to enforce the award.

20. प्रभावी तिथि (EFFECTIVE DATE)

जब तक ऋणी अनुबंध को निष्पादित करता है और जब तक इस अनुबंध में अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक यह समझौता ऋणी के लिए बाध्यकारी हो जाएगा, सभी दायित्वों का भुगतान, चुकौती और पूर्ण रूप से निर्वहन किया जायेगा, जब तक कि बैंक संतुष्ट न हो जाये।

The Agreement shall have become binding on the Borrower/s on and from the date when the Borrower/s executes the Agreement and unless otherwise provided for in this Agreement, shall be in force till all the Obligations are paid, repaid and discharged in full to the satisfaction of the Bank.

इस अनुबंध के अंग्रेजी भाग और हिंदी भाग की व्याख्या के बीच किसी भी संघर्ष या भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी भाग की व्याख्या इस तरह के किसी भी संघर्ष या भिन्नता की सीमा तक हिंदी भाग पर मान्य होगी और चुनी जाएगी।

In the event of any conflict or variance between the interpretation of English part of this contract and Hindi part of this Agreement, the interpretation of English Part shall prevail over and be chosen over Hindi Part to the extent of any such conflict or variance.

अनुसूची (Schedule)

अनुबंधका स्थान (Place of Agreement)	अनुबंधकी तारीख (Agreement Date)	
a	अनुबंधका स्थान (Place of Agreement)	
बैंक कार्यालय/शाखा का पता	बैंक कार्यालय/शाखा का पता	
(Bank's Lending Office / Branch)	(Bank's Lending Office / Branch)	

	_	_
अनु.क्र. SI. No	ब्यौरे (Particulars)	विवरण (Details)
	A. उधारकर्ता का विवरण (BORRO	OWER DETAILS)
1.	नाम (Name) :	
2.	बेटा/बेटी/ पत्नी: (Son of / Daughter of / Wife of)	
3.	उधारकर्ता का प्रकार (यदि कोई) सनस्था है) : (borrower's Constitution)	Individual (व्यक्ती)
4.	उधारकर्ता के निवास का पता (Address of the borrower's residence)	
	B. सह-उधारकर्ता विवरण (CO-BO	RROWER DETAILS)
5.	नाम (Name) :	all Finance Bank
6.	बेटा/बेटी/ पत्नी: (Son of / Daughter of / Wife of)	all Finance Bank
7.	सह उधारकर्ता का प्रकार (यदि कोई) सनस्था है) : (borrower's Constitution)	Individual (व्यक्ती)
8.	सह उधारकर्ता के निवास का पता (Address of the borrower's residence)	
	C. ऋण/सुविधा विवरण (LOAN/FA	CILITY DETAILS)
9.	ऋण का प्रकार (Type of Loan)	
10.	ऋण की राशि (Loan amount)	₹ (₹only)
11.	प्रयोजन (Purpose):	की खरीद के लिए आवश्यक वित्त Finance required for Purchase of/ के संबंध में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता: Working capital requirement in respect of:
12.	ब्याज दर (Rate of Interest):	
13.	देर से भुगतान जुर्माना (Late Payment Penalty):	बैंक अतिदेय मूलधन पर सुविधा के लिए लागू दर पर ब्याज लगाएगा (Bank Shall Charge Interest at the Rate applicable to the facility on overdue principle)

D. ऋण का परिशोधन (AMORTIZATION OF LOAN)				
14.	ऋण की अवधि (Tenure of Loan)			
15.	प्री-ईएमआई की संख्या (Number of Pre-EMI)			
16.	प्री-ईएमआई की राशि (Amount of Pre-EMI)			
17.	ई.एम.आई की संख्या (Number of EMIs)			
18.	प्री-ईएमआई/ ई.एम.आई देय तिथि (Pre-EMI/ EMI Due date)			
19.	प्रत्येक ई.एम.आई की राशि (Amount of each EMI)			
20.	ई.एम.आई प्रारंभ तिथि (EMI Start Date):			
21.	चुकौती का तरीका (Mode of Repayment):	SI Mode (एस.आई. मोड)		
	F. अन्य शुल्कों का विवरण (DETA			
22.	प्रसंस्करण शुल्क			
	Processing fee			
23.	क्रेडिट बीमा प्रीमियम)			
Г	(Credit Insurance Premium)	₹/-		
G. नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए)/ स्पेशल मेन्शन अकाउंट (एसएमए) के वर्गीकरण के लिए विवरण				
C	Details for Classification of Non-Performing Ass			
	एसएमए उप-श्रेणीयाँ	वर्गीकरण मूलधन या ब्याज भुगतान या किसी अन्य राशि के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय के लिए		
	(SMA Sub-categories)	आधार		
		(Basis for classification Principal or interest		
		payment or any other amount wholly or partially overdue for)		
24.	एसएमए-0 (SMA-0)	1-30 दिन (1-30 days)		
25.	एसएमए-1 (SMA-1) CKarsh Sm	31-60 ਫਿਜ (31-60 days) – Bank		
26.				
27.	Aupkionii	11000110110100		
	NPA (एनपीए)	91 Days and Above ((91 दिन और उससे अधिक)		
28.	उदाहरण: यदि लोन अकाउंट का नियत दिनांक 31 मार्च 2022 है और इस दिनांक के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया बैंक द्वारा किए जाने से पहले संपूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है तो बकाया राशि का दिनांक 31 मार्च 2022 होगा. यदि यह बकाया ही रहता है तो यह अकाउंट 30 अप्रैल 2022 तक एसएमए-0 के रूप में टैग किया जाएगा, यानी निरंतर बकाया रहने के 30 दिन तक।			
	Example: If due date of a loan account is March 31, 2022, and full dues are not received before the bank runs the day-end process for this date, the date of overdue shall be March 31, 2022. If it continues to remain overdue, then this account shall get tagged as SMA-0 until April 30, 2022, i.e., up to 30 days of being continuously overdue. इसी तरह से अकाउंट को 30 अप्रैल 2022 को दिन के अंत की प्रक्रिया होने पर एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा, यानी कि बकाया रहने के निरंतर 30 दिन पूर्ण होने पर। इसके अनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण का दिनांक 30 अप्रैल 2022 होगा। Subsequently the account shall get tagged as SMA-1 upon running day-end process on April 30, 2022, i.e. upon completion of 30 days of being continuously overdue. Accordingly, the date of SMA-1 classification for that account shall be April 30, 2022.			
	। इस तरह से. यदि खाता बकाया ही रहता है तो उस पर 30 मई	2022 को दिन की प्रक्रिया खत्म होने पर एसएमए२ का टैग लगा		
	दिया जाएगा, और यदि यह आगे भी बकाया रहना जारी रहता है एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।			

upon running day-end process on June 29, 2022.

IN WITNESS WHEREOF the parties here to have signed on the day, month and year first above written.

इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने ऊपर लिखे पहले दिन, महीने और वर्ष पर हस्ताक्षर किए हैं।

नामित के सामने हस्ताक्षरित और वितरित किया गया (Signed and delivered by the within named)

उधारकर्ता का नाम (Borrower Name)	उधारकर्ता के हस्ताक्षर (Borrower Signature)
सह-उधारकर्ता का नाम (Co-Borrower Name)	सह-उधारकर्ता के हस्ताक्षर (Co-Borrower Signature)
बैंक अधिकारी का नाम (Bank Officer Name)	बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर (Bank Officer Signature)

(निरक्षर उधारकर्ताओं के मामले में) (In case of Illiterate Borrowers)

आवेदक/सह-आवेदन एतद्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि आवेदक/सह-आवेदक ने पृष्ठ संख्या में निहित पृष्ठ 1 से पृष्ठ. _सभी नियमों और शर्तों को पढ़, सत्यापित, समझा, सहमत भी है और स्वीकार किया है। The Applicant/Co-application hereby expressly acknowledge and confirmed that the applicant/co-applicant have read, verified, understood, agreed too and accept all the terms and conditions contain in page no. 1 to page no

to page no	11 -1 -1
Utkarsh Sr	nall Finance Bank
निष्पादन/हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान की पुष्टि/या	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
आवेदक और सह-आवेदक द्वारा है	Name of Signature of Authorized Signatory
Execution/Signature/Affirmation of thumb	
impression by/or the Applicant and Co-Applicant	
आवेदक का नाम (Name of Applicant):	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (Name of
	Authorized Signatory):
and the desired the form to the second	
आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (Signature /	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम (Designation of
Thumb impression of Applicant):	Authorized Signatory):
सह-आवेदक का नाम (Name of Co-applicant):	Signature of Authorized Signatory:
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :
Signature / Thumb impression of Co-applicant:	
सह-आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान:	

